राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री जे0एन0मथुरिया (आर0ए0एस0)

आर.सी.एम.एस 2011/00037
अपील संख्या 112/2011 (223आर.टी.एक्ट.)
उनवान :–
1–कला पत्नी बुद्धा जाति जाटव निवासी नगला बघेर्रा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।
2–जसोदा पत्नी अतरसिंह जाति जाटव निवासी नगला बघेर्रा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।
3–पुनिया पत्नी सोहनलाल जाति जाटव निवासी नगला बघेर्रा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।
4–झुनिया पत्नी बदनसिंह जाति जाटव निवासी नगला बघेर्रा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।
5–जयदेई पत्नी लक्ष्मण जाति जाटव निवासी नगला बघेर्रा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।
6–वीरो पत्नी रज्जन जाति जाटव निवासी नगला बघेर्रा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।
7–पिस्ता पत्नी रज्जो जाति जाटव निवासी नगला बघेर्रा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।
8–चन्द्रवती पत्नी श्यामवीर जाति जाटव निवासी नगला बघेर्रा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

————अपी0

बनाम

1–विसा पुत्र हुलासी (मृत) जाति जाटव निवासी नगला बघेर्रा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।
1/1 यादराम पुत्र विस्सा जाति जाटव निवासी नगला बघेर्रा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।
1/2 मुन्नी पुत्र विस्सा (मृत) जाति जाटव निवासी नगला बघेर्रा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।
1/2/1 केशव पत्नी मुन्नी जाति जाटव निवासी नगला बघेर्रा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।
1/2/2 रूपसिंह पुत्र मुन्नी जाति जाटव निवासी नगला बघेर्रा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।
1/3/हंसराज पुत्र विस्सा जाति जाटव निवासी नगला बघेर्रा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।
1/4 बचनसिंह पुत्र विसा जाति जाटव निवासी नगला बघेर्रा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।
2–मांगी पुत्र हुलासी जाति जाटव निवासी नगला बघेर्रा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।
2/1 हरप्यारी पत्नी मांगी जाति जाटव निवासी नगला बघेर्रा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।
2/2 लालाराम पुत्र मांगी जाति जाटव निवासी नगला बघेर्रा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

जे0 एन0 मथुरिया
राजस्व अपील अधि.
भरतपुर (राज.)

2/3 किशनसिंह पुत्र मांगी जाति जाटव निवासी नगला बघेर्रा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।
3– करनसिंह पुत्र हुलासी जाति जाटव निवासी नगला बघेर्रा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।
4–मैसर्स राजस्थान ब्रिक्स प्रा.लि.जरिये डायरेक्टर वीरेन्द्र पदमचन्द जैन बस स्टैण्ड के पास कुम्हेर जिला भरतपुर।
5–वीरेन्द्र कुमार पुत्र मोतीलाल जैन (मृत) जाति जैन निवासी बस स्टैण्ड कस्बा कुम्हेर जिला भरतपुर।
5/1 शीतल कुमार पुत्र मोजीलाल जाति जैन निवासी बस स्टैण्ड कस्बा कुम्हेर जिला भरतपुर।
5/2 सुनील पुत्र वीरेन्द्र कुमार जाति जैन निवासी बस स्टैण्ड कस्बा कुम्हेर जिला भरतपुर।

6– पदमचन्द जैन पुत्र मोतीलाल जैन जाति जैन निवासी बस स्टैण्ड कस्बा कुम्हेर जिला भरतपुर।
7–चन्द्रा पत्नी डालचंद जाति जाटव निवासी नगला बघेर्रा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

------ रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 30.3.202 मु0न0 98/1996 न्यायालय उप जिला कलक्टर भरतपुर उनवानी विसा वगै बनाम मैसर्स राजस्थान ब्रिक्स प्रा. लि.वगै।

उपस्थिति :–वकील अपीलांट श्रीविजय सिंह कुन्तल एड0
वकील रेस्पो0श्री महाराजसिंह डागुर एड0

निर्णय दिनांक 7.11.2017

यह अपील अपीलार्थी द्वारा इस आशय की पेश की गई है कि आराजी खसरा नम्बर 36 रकवा 1 बीघा 2 विस्वा वाके ग्राम नगला वघेर्रा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर में स्थित है जिसे आगे विवादित आराजी कहा गया है। विवादित आराजी बाबत् अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को तलव किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगाई गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि वकील अपीलार्थी की बहस है की अपीलाधीन आदेश एकतरफा में पारित किया गया है। वाद मे प्लीडिंग्स को साक्ष्य से पुष्ट नही किया गया है। अपीलार्थी का जबाब वंद किये बिना ही अग्रिम कार्यवाही की गयी है। जिन दस्तावेजात को प्रदर्श कराये विना साक्ष्य मे नही पड़ा जा सकता । लिमिटेशन के बिन्दु पर बहस करते हुए प्रकट किया कि जहां

जे० एल० मथुरिया
राजस्व अपील अधिकारी
भरतपुर (राज.)

एक तरफ कार्यवाही हुयी हो और आदेश प्रारम्मतः शून्य हो तो ऐसे मामले में मियाद का प्रशन उत्पन्न नही होता है अपने पक्ष के समर्थन मे निम्न दृष्टात पेश किये–

1–1991 आर.आर.डी. 218

2–2011 आर.आर.टी. पेज 602 (एस.सी.)

3–2005 आर.आर.टी. II पेज 769

बचाव मे वकील प्रत्यर्थी ने मियाद की आपत्ति लेते हुये प्रकट किया कि अपील मियाद बाहर होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है एवं अपील धारा 42 से भी प्रभावित है। अतः अपील खारिज की जावे।

प्रति बहस में वकील अपीलार्थी ने निवेदन किया कि विधिक व्यक्ति के मामले मे धारा 42 लागू नही होती है। अतः प्रत्यर्थी की आपत्ति चलने योग्य नही है।

बहस उभयपक्ष एंव दस्तावेजात के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी की ओर से कोई प्रभावी कार्यवही नही हुई है। अपीलार्थी प्रकरण मे वकालतनामा पेश करना भी अस्वीकार कर रहा है। अपीलार्थी का ना तो पत्रावली मे जबाब है और ना हि जबाब बंद हुआ है। प्रत्यर्थी का कोई साक्ष्य भी नही है। रिकार्ड के निरंतरता से यह भी स्पष्ट नही है कि विवादित आराजी किस प्रकार अपीलार्थी के नाम हुई एंव रकबे मे अन्तर का क्या प्रभाव है। प्रकरण में प्रत्यर्थी की साक्ष्य भी नही हुई है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अपास्त किया जाता है एंव प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलार्थी को जबाब पेश करने का अवसर देते हुये उभयपक्ष की साक्ष्य के आधार पर प्रकरण निर्णित किया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

यह आदेश आज दिनांक 711.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर